

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 9 सितम्बर, 2020

संख्या वि०स०-विधायन-विधेयक/1-13/2020.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 12) जो आज दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/—
सचिव,
हि० प्र० विधान सभा।

2020 का विधेयक संख्यांक 12

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2020

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 3 का संशोधन।

2020 का विधेयक संख्यांक 12

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2020

(विधानसभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

2. **धारा 3 का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (i) में, "पचास हजार" शब्दों के स्थान पर "चालीस हजार" शब्द रखे जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) के उपबंधों के अनुसार पचास हजार से अधिक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों को, अन्य कानूनी अपेक्षाओं को परिपूर्ण करने अध्याधीन, नगर निगम के रूप में घोषित किया जा सकता है। पिछली जनगणना नौ वर्ष पूर्व की गई थी। तब से कुछ शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या पचास हजार की जनसंख्या वाली वैधानिक सीमा से अधिक हो गई है। फिर भी उन्हें अद्यतन डाटा की अनुपलब्धता के कारण नगर निगम के रूप में घोषित नहीं किया जा सकता है। अगली जनगणना वर्ष 2021 में होगी और आवश्यक डाटा को अंतिम रूप देने हेतु पर्याप्त समय लग सकता है। इसलिए, कुछ शहरी क्षेत्र नगर निगम की प्रसुविधाओं को प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे, तथापि, ऐसे क्षेत्रों ने पचास हजार की निश्चित जनसंख्या की सीमा को पार कर लिया है। अतः पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है ताकि चालीस हजार की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों को भी नगर निगम के रूप में घोषित किया जा सके।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुरेश भारद्वाज)
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :

तारीख :, 2020

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 12 of 2020

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2020

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of Section 3.

Bill No. 12 of 2020

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2020

(As INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2020.

2. Amendment of Section 3.—In Section 3 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (12 of 1994) in sub-section (2), in clause (i) for the words “fifty thousand”, the words “forty thousand” shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

As per the provisions of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994), the urban areas with population exceeding fifty thousand may be declared as the Municipal Corporation subject to fulfilling other statutory requirements. The last census was undertaken nine years ago and since then the population of some of the urban areas may have crossed the statutory limit of fifty thousand yet they can not be declared as Municipal Corporation due to non-availability of updated data. The next census will take place in the year 2021 and it may, therefore, take considerable time for finalising the necessary data. Thus, some urban areas will be deprived of the benefits of having Municipal Corporation despite such areas having crossed the benchmark of having population of fifty thousand. Therefore, it has been decided to amend the Act *ibid.* so that the urban areas having population of forty thousand may also be declared as Municipal Corporation.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SURESH BHARDWAJ)
Minister-in-Charge.
